राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता भू जल विभाग, जयपुर

72–बी झालाना डूंगरी सांस्थानिक क्षेत्र,जयपुर–302004

Email id- xengwdjpr-rj@gov.in Phone no. 0141-2710467

निलामी नोटिस संख्या–01 दिनांक–25.02.2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, भूजल विभाग, जयपुर में दिनांक 22.03.2021 प्रातः समय 11:00 बजे से निलामी का आयोजन किया जा रहा है। सामग्री का पुस्तक मुल्य 8990702/– रूपये है जिसमे ड्रम, रबर स्केप, डी0टी0एच0/रोटरी के बटन बिट, हैमर, आर.आर. बिट व ड्रील रॉड, मशीनरी/ट्रक/जीप के अकार्यशील पार्ट्स स्क्रेप, रेड़ियटर, टॉयर्स है। बोली की समस्त शर्ते कार्यालय नोटिस बोर्ड व विभागीय वेबसाइट https://phedwater.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। इच्छुक खरीददार उपरोक्त सामग्री का निरीक्षण इस कार्यालय में दिनांक 10.03.2021 प्रातः 11:00 बजे से निलामी तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में कर सकते है।

निलामी स्थलः– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता भू जल विभाग, जयपुर 72–बी झालाना डूंगरी सांस्थानिक क्षेत्र,जयपुर–302004

अधिशाषी अभियन्ता,
भू जल विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता भू जल विभाग, जयपुर
72—बी झालाना डूंगरी सांस्थानिक क्षेत्र,जयपुर—302004
Email id- xengwdjpr-rj@gov.in Phone no. 0141-2710467

नीलामी नोटिस नं. 1 दिनांक 25.02.2021

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशाषी अभियन्ता, भूजल विभाग, जयपुर में दिनांक 22.03.2121 को प्रातः 10:00 बजे से निम्न अकार्यशील / नकारा सामग्री की नीलामी की जायेगी।

अकार्यशील / नकारा सामग्री का विवरण :—

क्र. सं.	लोट नं.	अकार्यशील / नकारा सामग्री का विवरण	पुस्तक मुल्य	बयाना राशि (अर्नस्ट मनी)
1	लोट नं 1	रेड़ियटर	0.99 लाख	2000 / —
2	लोट नं 2	टॉयर्स	5.36 लाख	11000 / —
3	लोट नं 3	रबर स्क्रेप	8.65 लाख	17300 / —
4	लोट नं 4	ड्रम	1.00 लाख	2000 / —
5	लोट नं 5	मशीनरी / ट्रक / जीप के अकार्यशील पार्ट्स स्क्रेप	35.94 लाख	50000 / —
6	लोट न 6	डी0टी0एच0 / रोटरी के बटन बिट, हैमर, आर.आर. बिट व ड्रील रॉड	38.93 लाख	50000 / —

इच्छुक खरीददार उपरोक्त सामग्री का निरीक्षण इस कार्यालय में दिनांक 10.03.2021 प्रातः 11:00 बजे से किसी भी कार्य दिवस को निलामी तिथि तक कर सकते है। निलामी की शर्ते व नियम दिनांक 10.03.2021 से कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है।

कृपया सूचित रहे कि उपरोक्त सामग्री की निलामी "जैसा है जहां है" हालात में की जावेगी उपरोक्त दर्शायी गयी अकार्यशील सामग्री किसी भी आईटम की निलामी नहीं करने / रोकने का समस्त अधिकार निलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।

किसी भी आईटम के निलामी की बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के समस्त अधिकार निलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगे।

नीलामी स्थलः—
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
भूजल विभाग, 72 बी झालाना डूंगरी,
सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता,
भूजल विभाग, जयपुर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता भू जल विभाग, जयपुर

72–बी झालाना डूंगरी सांस्थानिक क्षेत्र,जयपुर–302004

Email id- xengwdjpr-rj@gov.in Phone no. 0141-2710467

नीलामी नोटिस नं. 1 दिनांक 25.02.2021

नीलामी दिनांक 22.03.2021 की शर्तें

1. प्रत्येक ईच्छुक बोलीदाता को नीलामी शुरू होने से पूर्व नीलामी हेतु संबंधित लोटस के लिये निर्धारित की गई अमानत राशि नगद या डी.डी./बैंकर चैक अधिशाषी अभियन्ता, भूजल विभाग, जयपुर के नाम जमा करवानी होगी।
2. प्रत्येक बोलीदाता को अमानत राशि जमा कराने के साथ–साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराये जाने अनिवार्य है।
   - ш बोलीदाता की पहचान से संबंधित फोटोयुक्त पहचान पत्र की स्वप्रमाणित दो छाया प्रतिया यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट आदि।
   - шш बोलीदाता के स्थाई निवास पते के संबंध में दस्तावेज की स्वप्रमाणित दो छाया प्रतिया यथा–बिजली, पानी, टेलीफोन, बिल आदि।
   - шшш घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र–2 दो की समस्त पूर्तिया पूर्ण कर पासपोर्ट सांईज की दो नवीनतम फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाते हुए निर्धारित अमानत राशि सहित।
   - ष्टण फर्म, कंपनी एवं संस्था की और से निलामी में भाग लेने हेतु संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित दो छाया प्रतिया एवं इस प्रकार की संस्था की तरफ से बोली में भाग लेने हेतु अधिकृत व्यक्ति के नाम मूल अधिकार पत्र।
   - टण बोलीदाता के जी.एस.टी. नं. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित दो छाया प्रतिया।

   कृपया ध्यान रहे कि उक्त में से किसी भी दस्तावेज की कमी होने पर अमानत राशि जमा नहीं की जावेगी और निलामी में भाग नहीं लिया जा सकेगा।

3. सबसे ऊँची बोली देने वाले बोलीदाता के पक्ष में नीलामी निर्णित होने पर उस बोलीदाता को लोट संख्या 1,2,3 के मामले में तुरन्त सम्पूर्ण राशि नगद या डी.डी./बैंकर चैक अधिशाषी अभियन्ता, भूजल विभाग, जयपुर के नाम जमा करवानी होगी। लोट संख्या 4, 5 व 6 की उच्चतम बोली की एक चौथाई राशि(जमा अमानत राशि के अलावा) मौके पर ही जमा करवानी होगी या डी.डी./बैंकर चैक अधिशाषी अभियन्ता, भूजल विभाग, जयपुर के नाम जमा करवानी होगी अन्यथा उसकी पूर्ण अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी व सामान पुनः नीलाम किया जा सकेगा, एवं ऐसे बोलीदाता को डिफाल्टर घोषित किया जावेगा तथा इस प्रकार डिफाल्टर घोषित बोलीदाता उक्त सम्पूर्ण नीलामी प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा। एक चौथाई राशि जमा कराते समय ऐसे बोलीदाता को संलग्न प्रपत्र "ख" के अनुसार करार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रत्येक बोलीदाता का यह दायित्व रहेगा कि बोली लगाने से पूर्व नीलामी की शर्ते व नीलाम होने वाली वस्तुओं/लोट्स की पूरी जानकारी करके ही बोली लगावे। बोली लगाने के बाद किसी प्रकार की शिकायत की सूनवाई नहीं की जावेगी।
5. उच्चतम बोली को स्वीकार करने अथवा नहीं करने एवं निलामी को निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
6. प्रत्येक आइटम/लोटस को अलग से या सामूहिक रूप से कमेटी जैसा उचित समझे नीलाम कर सकेगी।
7. लोट संख्या 4,5,6 के मामले में सबसे ऊँची बोली की शेष राशि मय जी.एस.टी. (जो भी लागू होगा) बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 2 कार्य दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त कर उच्चतम बोली को निरस्त कर दी जावेगी।
8. शेष राशि जमा कराने एवं निलामी का माल सुपुर्द करवाने बाबत आवेदन निर्धारित प्रपत्र "ग" में वांछित पूर्तियां पूर्ण कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. माल उठाने की अधिकतम अवधि 5 कार्य दिवस (शेष राशि जमा करवाने के अगले दिन से) निर्धारित है। विशेष परिस्थितियों में बोलीदाता द्वारा लिखित आवेदन पर माल उठाने की समायावधि में अतिकतम 10 कार्यदिवस की वृद्धि निम्नानुसार प्रतिदिन वारफेज के रूप में राशि जमा कराये जाने के पश्चात ही सामान की सुपुर्दगी की जा सकेगी:–

क्र.सं.	निलामी कीमत	वारफेज राशि प्रतिदिन
1	रू 1,00,000/– तक	रूपये 100/– प्रतिदिन
2	रू 1,00,000/– से अधिक परन्तु 5,00,000/– तक	रूपये 200/– प्रतिदिन
3	रू 5,00,000/– से अधिक	रूपये 500/– प्रतिदिन